**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या : 38/2011

**अपीलांट**

हरदेव पुत्र श्री मुलाराम के कायम मुकाम
1/1 इमरती बेवा हरदेवराम जाति मेघवाल निवासी बालुपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस्**

1. मांगीलाल पुत्र मुलारामजी
2. रतनलाल पुत्र मुलारामजी
3. कालुराम पुत्र मुलाराम के कायम मुकाम–
   3/1 राजुराम पुत्र स्वर्गीय कालुराम
   3/2 बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय कालुराम
   3/3 कमली पत्नी स्वर्गीय कालुराम
4. भवरूराम पुत्र अनोपराम
5. हडमाल पुत्र अनोपराम
6. छोटुराम पुत्र अनोपराम
7. सावरिया पुत्र अनोपराम
8. नारायण पुत्र जोगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण बालुपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।
9. श्री आर. के व्यास महाप्रबंधक, वास्ते मैसर्स अंबुजा सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड मुकाम राबडियावास, तहसील जैतारण जिला पाली।
10. तहसीलदार व उपपंजीयक अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

1. श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 3/3
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.05.2019.

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के सबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर अपीलांट 40 वर्षो से काश्त कर रहा है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज है व अनोपराम का भी 1/2 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त हिस्से का 18 रूपये का बंटवारानामा 14.01.1971 के द्वारा किया गया व म्यूटेशन संख्या 42 अपीलांट के पक्ष में दिनांक 06.06.1972 में भरा गया। उक्त म्यूटेशन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा आदिनांक तक कोई वाद सक्षम न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिको द्वारा दिनांक 14.10.1994 को भूमि अवाप्त की जाकर अंबुजा सीमेंट के नाम म्यूटेशन अमल दरामद किया गया, उक्त कार्यवाही में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को कैम्प में निर्णीत किया गया है जबकि राजस्व न्यायालय को कन्टेस्टेड प्रकरण में राजीनामा करवाने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को धोखे में रखकर बिना वाद की जानकारी दिये कम्पयूटर से टाईपशुदा राजीनामे की प्रति पर हस्ताक्षर करवाये गये, जो राजीनामा कतई तस्दीक नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, तनकीयात कायम किये, राजस्व कैम्प कोर्ट में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के सबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट का जन्म से हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में लोक अदालत मजमा–ए–आम ग्राम राबडियावास में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 शिविर में दिनांक 25.11.2010 को उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत तस्दीक शुदा राजीनामें के आधार पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बालूपूरा के खसरा नंबर 16/1, 24, 29, 84 रकबा 122 बीघा 06 बिस्वा के सबंध में प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिस पर अपीलांट का वक्त जन्म से हक हिस्सा है। एवं जहां तक वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे का प्रश्न है तो पुश्तैनी आराजी पर कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा लोक अदालत मजमा–ए–आम ग्राम राबडियावास में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 शिविर में दिनांक 25.11.2010 को तस्दीक शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया। उक्त राजीनामे में वर्णित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामें में वर्णित तथ्यों के आधार जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2010 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली